न्यायालय अपर जिला एवं सैशन न्यायाधीश संख्या-3, अलवर

पीठासीन अधिकारी : ज्योति के.सोनी, आर.जे.एस.

(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

फौजदारी अपील संख्या- 01/22

सी.आई.एस नंबर- 573/18

1. मुबारिक पुत्र सुभान खां निवासी झंझार थाना सीकरी जिला भरतपुर

2. शब्बा पुत्र नसरू निवासी तैसकी थाना सीकरी जिला भरतपुर राजस्थान **[मफरूर]**

...अभियुक्त-अपीलान्ट

बनाम

2. राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, अलवर

..रेस्पोडेंट

दाण्डिक अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 05.12.2018 न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.3 अलवर, पीठासीन अधिकारी श्रीमती बबीता वर्मा , आर.जे.एस. बउन्वान सरकार बनाम मुबारिक वगै. प्र.सं. 23/606/16, अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम में पारित किया गया''

उपस्थिति:-

1. श्री मौहम्मद इलियास, विद्वान अधिवक्ता, अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से।

2. श्री अजीत यादव, विद्वान अपर लोक अभियोजक राज्य की ओर से।

-निर्णय- **दिनांक:- 27.03.2026**

1. यह अपील **अपीलार्थीगण मुबारिक , शब्बा** के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय **दिनांक 05.12.2018** से व्यथित होकर श्रीमान जिला एवं सेशन न्यायालय, अलवर में प्रस्तुत की गई, जहां से यह प्रकरण कालांतर में अंतरित होकर निस्तारण हेतु इस न्यायालय को प्राप्त हुआ। प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त शब्बा को आदेशिका दिनांक 05.01..2026 द्वारा मफरूर घोषित किया गया है।

प्रकरण में अपीलार्थी/अभियुक्त मुबारिक की हद तक ही विचारण किया जा रहा है।

2. यह दाण्डिक अपील अपीलार्थी-अभियुक्त की ओर से विद्वान अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट सं.3 अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 05.12.2018

नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या 23/606/16 में अपीलार्थी-अभियुक्त को **अपराध अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम** के अपराध में दोषसिद्ध किया जाकर निम्न दण्ड से दण्डित किया गया-

क्र.सं.	अभियुक्त का नाम	अपराध धारा	कारावास	अर्थदण्ड	अदम अदयगी अर्थ दण्ड अतिरिक्त साधारण कारावास
1.	अभियुक्त **मुबारिक**	3/25 आयुध अधिनियम	एक वर्ष का साधारण कारावास	दो हजार रूपये अर्थदंड	अदम अदायगी अर्थदंड तीस दिवस का अतिरिक्त साधारण कारावास

जिससे व्यथित होकर न्यायालय के समक्ष अपील पेश की गयी ।

3. प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी आनंद ने मजमून रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करायी कि दिनांक 18.10.10 को वह मय जाब्ता कानि. सुलतान सिंह 1791, श्यामलाल 1457 मय जीप सरकारी के समय 8.30 एएम पर थाने से वास्ते गश्त व चैकिंग बदमाशान हेतु रवाना हुआ था । गश्त बुद्धविहार कर्मचारी कॉलोनी एरोड्रम रोड दाउदपुर करता हुआ समय 11.00 ए.एम पर दाउदपुर बाजार पहंचा । जहां पर जरिये मुखबिर खास सूचना मिली की तीन बदमाशान जिनके पास हथियार हैं किसी वारदात की फिराक में सिटी अस्पताल के सामने अग्रसेन चौराहा के पास मोटरसाईकिल नंबर एच.आर 28 बी 8195 पर खडे हैं।

4. इस पर वह मय जाब्ता मय जीप सरकारी के सिटी अस्पताल के सामने अग्रसेन चौराहे के पास पहुंचा तो एक मोटरसाईकिल पर तीन लडके बैठे हुए दिखाई दिये । जो पुलिस वाहन व जाब्ते को बावर्दी देखकर मोटरसाईकिल स्टार्ट कर भागने लगे । जिन्हें जाब्ते की मदद से घेरा देकर पकडा । जिनसे नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम मुबारिक बताया । दूसरे ने अपना नाम शब्बा, तीसरे ने अपना नाम तौफिक बताया । जिसकी तलाशी ली गयी तो मुबारिक के पहनी हुई पेंट के पीछे की तरफ एक देशी कट्टा 12 बोर व पेंट की बांयी जेब में एक कारतूस 12 बोर जिस पर SPECIAL 65 MM 130 GRAM फैक्ट्री खडकी हिन्दी व अंग्रेजी में लिखा हुआ मिला । दूसरे लडके तौफिक को चैक किया तो पहनी हुई पेंट की बांयी जेब से एक कारतूस 12 बोर मिला ।

5. तीसरे लडके सब्बा को चैक किया तो पेंट की दांयी जेब में एक कारतूस 12 बोर मिला । पकडे गये देशी कट्टे को मौके पर ही नापा गया तो देशी कट्टे का हत्था लकडी का है। जिसकी लंबाई लगभग 10 सेमी. व नाल की लंबाई करीब 20.5 सेमी. है तथा बॉडी की लंबाई 11 सेमी. है पुराना इस्तेमाली है। तीनों लडकों से अपने कब्जे में कट्टा व कारतूस रखने बाबत लाईसेंस मांगा गया तो कोई लाईसेंस नहीं होना बताया । तीनों लडकों का कृत्य धारा 3/25, 35 आर्म्स एक्ट की परिभाषा में आने पर तीनों लडकों को मौके पर गिरफ्तार किया गया । अवैध देशी कट्टा 12 बोर व एक कारतूस जो मुबारिक

से बरामद हुआ था उसे कपडे की थैली में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया व तौफिक व सब्बा से बरामद कारतूसों को अलग-अलग कपडे की थैलीयों में रखकर सील्ड मोहर कर मार्का बी व सी अंकित किया गया । पकडी गयी मोटरसाईकिल एच.आर 28 बी 8195 एच.एच सी.डी डिलेक्स रंग लाल को प्रकरण हाजा में जब्त किया गया । गिरफ्तारशुदा तीन मुलजिमान मय जब्तशुदा तीन पैकिट सील्ड व जब्तशुदा मोटरसाईकिल के थाना आया । वापसी पर मुकदमा दर्ज कराया । अतः कार्यवाही किये जाने का निवेदन किया ....इत्यादि ।

6. उक्त रिपोर्ट पर पुलिस ने मुकदमा नंबर 387/10 अंतर्गत धारा 3/25, 35 आर्म्स एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 23.12.10 को विद्वान विचारण न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया ।

7. बहस चार्ज सुनी जाकर अभियुक्त को धारा 3/25 आर्म्स एक्ट का आरोप पृथक से विरचित कर सुनाया व समझाया गया जिसे सुन-समझकर इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

8. साक्ष्य अभियोजन में विचारण न्यायालय में निम्न गवाह परीक्षित कराये गये-

कम संख्या	गवाह संख्या	गवाह का नाम
1.	पी डब्ल्यू 1	ओमप्रकाश
2	पी डब्ल्यू 2	सुलतान सिंह
3	पी डब्ल्यू 3	नफे सिंह
4	पी डब्ल्यू 4	साधुराम
5	पी डब्ल्यू 5	श्रीचंद यादव
6	पी डब्ल्यू 6	श्यामलाल
7	पी डब्ल्यू 7	हंसराज

साक्ष्य अभियोजन में विचारण न्यायालय में निम्न दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये-

कम संख्या	दस्तावेजों की प्रकृति	प्रदर्श संख्या
1	नक्शा मौका	प्रदर्श पी 1
2	फर्द चैकिंग व जब्ती	प्रदर्श पी 2
3	फर्द गिरफतारी व जमा तलाशी	प्रदर्श पी 3 लगायत पी 5
4	आटिंकल मुआयना रिपोर्ट	प्रदर्श पी 3
5	असल मालखाना रजिस्टर	प्रदर्श पी 4

6	मालखाना रजिस्टर की प्रति	प्रदर्श पी 4ए
7	अभियोजन स्वीकृति	प्रदर्श पी 6
8	नमूना सील	प्रदर्श पी 7

9. अभियुक्त को धारा 313 द.प्र.सं. के तहत परीक्षित किया गया तो उसने अपने विरूद्ध आयी साक्ष्य को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करना चाहा ।

10. **अपीलार्थी-अभियुक्त मुबारिक** के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियुक्त से किसी प्रकार की कोई बरामदगी नहीं हुयी है और पुलिस ने गलत तरीके से अभियुक्तगण के विरूद्ध चालान प्रस्तुत किया है। तथा अभियोजन स्वीकृति के संबंध में कलैक्टर की साक्ष्य लेखबद्ध नहीं करवायी है और अभियोजन स्वीकृति को साबित नहीं किया गया है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जाए ।

11. विद्वान अपर लोक अभियोजक ने उक्त तर्को का विरोध किया और निवेदन किया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य का उचित विवेचन करके निर्णय पारित किया है, जिसकी पुष्टि की जाए और अपील को अपास्त किया जाए।

12. बहस उभय पक्षीय सुनी गई। पत्रावली व विधि व्यवस्था का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात् न्यायालय का मत है कि प्रकरण में सबसे महत्वपूर्ण गवाह परिवादी आनंद है, परन्तु परिवादी आनंद की साक्ष्य लेख्बद्ध नहीं करवायी गयी है। इसके अलावा प्रकरण में अन्य जाब्ते के गवाह हैं जो **पी डब्ल्यू 2 सुल्तान सिंह, पी डबल्यू 6 श्यामलाल** है। गवाह पी डब्लयू 2 सुल्तान व पी डबलयू 6 श्यामलाल अपनी मुख्य परीक्षा में मजमून रिपोर्ट के अनुसार कथन करते हैं और यह उल्लेख करते हैं कि दिनांक 18.10.10 को थाना शिवाजी पार्क पर कानि. के पद पर तैनात थे। उस दिन आनंद एएसआई के साथ मय सरकारी जीप से वास्ते गश्त व चैकिंग बदमाशान हेतु रवाना होकर दाउदपुर बाजार पहुंचे । जहां पर मुखबिर से एएसाई साहब को सूचना मिली कि अग्रसेन चौराहे के पास सिटी हॉस्पिटल के सामने तीन लडके मोटरसाईकिल नंबर एच आर 28 बी 8195 पर खडे है। जिनके पास अवैध हथियार हैं जो कोई वारदात करने की फिराक में है।

13. उक्त गवाहान यह भी कथन करते हैं कि उक्त ईत्तला पर हमराही जाब्ता मय एएसआई के साथ रवाना होकर सांकेतिक स्थान पर पहुंचे तो वहां पर बताई गयी मोटरसाईकिल पर तीन लडके नजर आये । जो पुलिस को देखकर मोटरसाईकिल लेकर भागने लगे जिनको हमराही जाब्ता ने घेरा देकर पकडा । उनकी तलाशी के लिए स्वतंत्र गवाह बुलाना चाहा तो कोई तैयार नहीं हुआ । जिस पर एएसआई साहब द्वारा उनको गवाह बनाकर तीनों शख्सों से नाम पता पूछा तो एक ने अपना नाम मुबारिक बताया। मुबारिक की तलाशी में उसकी पेंट में एक देशी कट्टा 12 बोर मिला व पेंट की बांयी जेब में एक कारतूस 12 बोर जिंदा मिला । जिस पर स्पेशल 65 एम.एम लिखा था ।

14. उक्त गवाहान यह भी कथन करते हैं कि मुबारिक के कब्जे से मिले कट्टा और कारतूस को मौके पर जरिये फर्द जब्त कर मौके पर ही सील मोहर कर मार्का ए अंकित किया गया । दूसरे शख्स से नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम तौफिक बताया । तौफिक को चैक किया तो उसकी पेंट की बांयी जेब में एक कारतूस 12 बोर जिंदा मिला । जिसे मौके पर ही जरिये फर्द जब्त कर एक कपडे की थैली में रखकर सील मोहर कर मार्का बी अंकित किया ।

15. तीसरे शख्स ने अपना नाम सब्बा बताया । जिसकी तलाशी ली गयी तो उसकी पेंट की जेब में एक जिंदा 12 बोर मिला । तीनों शख्सों से अपने कब्जे में कारतूस व कट्टा रखने बाबत लाईसेंस व अनुज्ञप्ति मांगी गयी तो अपने पास नहीं होना बताया । मुलजिम सुब्बा के कब्जे से मिले 12 बोर के जिंदा कारतूस को सील माहर कर मार्का सी अंकित कर जरिये फर्द जब्ती कब्जा पुलिस लिया गया । तीनों मुलजिम से बरामद मोटरसाईकिल नंबर एच आर 28 बी 8195 को मौके पर ही जब्त कर कब्जा पलिस लिया गया ।

16. तीनों मुलजिमान को मौके पर ही जरिये फर्द पृथक-पृथक गिरफ्तार किया गया । मौके से मय माल मुलजिम मय माल के थाने पर वापिस आये । एएसआई साहब माल को जमा सीलबंद हालत में जमा मालखाना कराया गया । तथा गिरफतारशुदा मुलजिम को बंद हवालात किया गया । मुकदमा नंबर 387/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में पंजीकृत कराया गया । तीनों मुलजिमान के कब्जे से मिले हथियारों को मौके पर जब्त किया गया । फर्द जब्ती प्रदर्श पी 2 पर ए से बी सुल्तान सिंह, सी से डी श्यामलाल के हस्ताक्षर हैं तथा एक्स, व्हाई, जेड स्थान पर नमूना सील अंकित है । तथा ई से एफ मुलजिम मुबारिक, जी से एच सुब्बा , आई से जे मुलजिम तौफिक के हस्ताक्षर हैं। फर्द गिरफ्तारी मुलजिम मुबारिक प्रदर्श पी 3, मुलजिम ताफिक प्रदर्श पी 4, मुलजिम सुब्बा प्रदर्श पी 5 है। जिन पर ए से बी सुल्तान सिंह, सी से डी श्यामलाल, जी से एच मुलजिमान के हस्ताक्षर हैं।

17. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करते हैं कि उन्होंने कौनसे मुलजिम को पकडा था उन्हें जानकारी नहीं है और कट्टा काले रंग का था । जिसकी नपाई थानेदारजी ने की थी । मुबारिक से एक कट्टा और एक कारतूस और तौफिक और सब्बा से एक-एक कारतूस बरामद हुआ था । इस प्रकार उक्त दोनों गवाह अभियुक्त मुबारिक से कट्टे की जब्ती के संबंध में अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में कथन करते हैं।

18. **गवाह पी डब्ल्यू 1 ओमप्रकाश** नक्शे मौके का गवाह है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह दिनांक 19.10.10 को थाना शिवाजी पार्क में कानि. के पद पर कार्यरत था । उस दिन एएसआई हंसराज ने परिवादी आनंद एस.आई की निशादेही से घटनास्थल का नजरी नक्शा बनाया । जो प्रदर्श पी 1 है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। आनंद एस.आई ने एक देशी कट्टा बारह बोर मुलजिमों से जब्त किया था ।

19. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि वह बरामदगी के समय घटनास्थल पर नहीं था , परन्तु नक्शा उसके सामने बनाया था । इस प्रकार उक्त गवाह नक्शे मौके की पुष्टि में कथन करता है।

20. **गवाह पी डब्ल्यू 4 साधुराम** मालखाना का गवाह है। उक्त गवाह मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 18.10.10 को वह थाना शिवाजी पार्क में कांस्टेबल के पद पर तैनात था । उस दिन मालखाना का कार्यभार उसके पास था । उस दिन मुकदमा नंबर 387/10 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट में जब्तशुदा तीन सील्ड पैकेट मार्का ए,बी,सी व एक मोटरसाईकिल हीरो होण्डा सीडी डीलैक्स आनंद कुमार एस.आई ने उसे मालखाने में संभलाया । जिन्हें उसने मालखाना के रजिस्टर क्रमांक 551 दिनांक 18.10.10 पर इंद्राज किया । मार्का ए,बी,सी का परीक्षण कराने हेतु उसे पत्र दिया । जिसको सील्ड पैकेट को लेकर वह पुलिस लाईन अलवर पहुंचकर आरमोर्रर नफेसिंह को परीक्षण हेतु दिया । जिन्होंने बाद परीक्षण पैकेट अनसील्ड हालत में उसे वापिस किये । जिन्हें थाने में लाकर वापिस जमा कराया व परीक्षण रिपोर्ट मुकदमा के आई.ओ को सुपुर्द की व मालखाना रजिस्टर में परीक्षण का नोट अंकित किया । असल मालखाना रजिस्टर प्रदर्श पी 4 है। जिस पर ए से बी जमा करने का नोट अंकित है व सी से डी परीक्षण रिपोर्ट है। ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। जिसकी मालखाना रजिस्टर की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 4ए है।

21. जिरह में उक्त गवाह यह कथन करता है कि उसने माल को जमा किया था । उसके साथ उसको फर्द भी मिली थी । और मालखाना रजिस्टर में उसने उसके बाबत अंकन किया था । इस प्रकार उक्त गवाह अपनी मुख्य परीक्षा व जिरह में मालखाना में माल जमा करने की पुष्टि में कथन करता है।

22. **गवाह पी डब्ल्यू 3 नफेसिंह** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 26.10.10 को वह एचसी आरमोर्रर के पद पर पुलिस लाईन अलवर में कार्यरत था । उस दिन थाना शिवाजी पार्क से मुकदमा नंबर 387/10 में जब्तशुदा एक कट्टा व कारतूस सील्ड हालत में कांस्टेबल साधुराम 230 ने मुआयना के लिए सील्ड हालत में ए,बी,सी पैकेट जिन पर सील आकृति एवाईआरपी अंकित थी पैकेट खोलकर मुआयना हेतु मार्का ए पैकेट में एक कट्टा व कारतूस 12 बोर का था । कट्टा देशी बनाया हुआ था । उसके उपर किसी फैक्ट्री का रजिस्टर नंबर व प्रूफ मार्का अंकित नहीं था । कट्टे का एक्सन व मैकेनिजम ठीक काम कर रहा था । कट्टे से फायर करने पर फायर होना संभव है।

23. उक्त गवाह यह भी कथन करता है कि कट्टा फायर आर्म्स की तारीफ में आता है। कट्टे की नाल की पट्टी में 38/710 एनएस किया । एक कारतूस 12 बोर का भरा हुआ जिंदा दो नंबर का है। कैप के उपर केएफ-12 अंकित है रंग खाकी है। साईड में चिन्ह [.] किया । मार्का बी पैकेट को खोलकर मुआयना किया तो एक कारतूस 12 बोर का भरा हुआ जिंदा चालू हालत में मिला । कैप के उपर केएफ-12 अंकित था । साईड में कट्टा चिन्ह अंकित किया । मार्का सी पैकेट में एक कारतूस 12 बोर का भरा हुआ जिंदा चालू हालत में 2 नंबर का था कैप के उपर केएफ 12 अंकित था । साईड में चिन्ह अंकित

किया । तीनों कारतूस 12 बोर के हैं । खाकी रंग के हैं तीनों कारतूसों से फायर करने पर फायर होना संभव है। कारतूस फायर एम्बूनेशन की तारीफ में आते हैं । बाद मुआयना कट्टा व तीनों कारतूस साधुराम कांस्टेबल को वापिस संभला दिए । मैकेनिकल रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 है। जो उसकी कलमी है जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। कट्टा आर्टिकल 1 है, कारतूस आर्टिकल 2,3,4 है।

24. जिरह में उक्त गवाह यह कथन करता है कि उसने कट्टे से फायर करके नहीं देखा था । कट्टा देशी था ।

25. इस संबंध में अभियुक्त अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि आरमोर्रर ने कट्टे से फायर करके नहीं देखा था । अतः वह नहीं बता सकता कि वह फायर आर्म्स की श्रेणी में था । तो अभियुक्त अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत नहीं होता है क्योंकि यह आवश्यक नहीं है कि कट्टे से फायर करके देखा जाए, बल्कि आरमोर्रर के द्वारा निरीक्षण करने से ही यह स्पष्ट हो जाता है कि कट्टा फायर करने की स्थिति में था या नहीं । इसलिए फायर करके देखना आवश्यक भी नहीं है। इस प्रकार उक्त गवाह के द्वारा कट्टे को फायर आर्म्स की श्रेणी में बताया गया है।

26. **गवाह पी डब्ल्यू 5 श्रीचंद यादव** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि वह जून 2007 से कलैक्ट्रेट अलवर में आर्म्स लिपिक के पद पर कार्यरत है। एफआईआर संख्या 387/10 थाना शिवाजी पार्क की पत्रावली पुलिस अधीक्षक कार्यालय के मार्फत आर्म्स एक्ट के तहत अभियोजन स्वीकृति के लिए उसके द्वारा प्राप्त की गयी थी । जो उसने तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट श्री आशुतोष ए.टी पेडणेकर के समक्ष पेश की थी । पत्रावली का अवलोकन कर तत्कालीन जिला मजिस्ट्रेट ने अभियुक्त मुबारिक, सुब्बा व तौफिक से बिना लाईसेंस देशी कट्टा 12 बोर बरामद होने के कारण अभियोजन स्वीकृति के लिए आदेश प्रदान किये थे । आदेश जिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर उसने कंप्यूटर से टाईप किये थे । जो दिनांक 29.11.10 को जारी किये गये । अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 6 है। जिस पर ए से बी जिला मजिस्ट्रेट के हस्ताक्षर हैं जिनके हस्ताक्षर उनके अधीन कार्य करने से पहचानता है।

27. जिरह में उक्त् गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि पत्रावली के साथ कोई माल आया था या नहीं उसे जानकारी नहीं है । और कंप्यूटर के द्वारा आदेश टाईप करवाया गया था । इस प्रकार उक्त गवाह कलैक्टर के स्थान पर अभियोजन स्वीकृति के संबंध में साक्ष्य देने हेतु उपस्थित आया ।

28. इस संबंध में अभियुक्त अधिवक्ता ने दौराने बहस तर्क दिया कि अभियोजन स्वीकृति को साबित करने के लिए कलैक्टर की साक्ष्य आवश्यक है। तो अभियुक्त अधिवक्ता का उक्त तर्क उचित प्रतीत होता है । इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत **Ram Kishan & Anr. Us. State of Rajasthan D.B. Cr. APPEAL NO. 1285/2003** में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि-

''Under Section 374 Cr.P.C against the judgment and order dated 21.08.2003 passed by Addion Date of Judgment : 6th September, 2013

16. The learned court below has rightly relied on the statements of eye-witnesses which have been further corroborated by the medical evidence that Ram Kishan has fired on the deceased which resulted his death and there is no reason to interfere in the conviction and sentence of the appellant Ram Kishan for the offence under Section 302 IPC.

The appellant Ram Kishan has also been convicted for the offence under Section 3/25 of the Arms Act as stated earlier, country made pistol and gun have been recovered from his instance but it has rightly been contested by the counsel for the appellants that the prosecution has to prove that sanction was given by the authority after application of mind, sanction has been exhibited as Ex.P/20 but sanctioning authority has not been examined to prove the sanction and in place of sanctioning authority, PW/21 Gyan Singh has been produced who is Upper Division Clerk in Judicial Section of Collectorate, Bharatpur. In absence of proper sanction, the conviction under Section 3/25 of the Arms Act seems to be bad in law and reliance has been placed on Vithal Mahadev Patil Vs. State 1996 Cr.L.J. 1796 and State Vs. Fulchand, AIR 1956 M.B. 50. In the present case, when sanction has not been proved and the prosecution has not proved the fact that after application of mind, the sanction has been awarded conviction cannot be sustained under Section 3/25 of the Arms Act at the same time, Ex.P/20 speaks itself that it has been awarded without application of mind as it contains the averment that 15 cartridges were also recovered at the instance of the appellant Ram Kishan whereas 15 cartridges have been seized from the place of occurrence and never been seized at the instance of the appellant. The appellant was not in possession of 15 cartridges which shows that Ex.P/20 has been accorded without application of mind. Ex.P/20 does not contain any details about the possession of the fire-arms by the appellant and in view of above, appellant Ram Kishan deserve to be acquitted for the offence under Section 3/25 of the Arms Act.''

29. **गवाह पी डब्ल्यू 7 हंसराज** मुख्य परीक्षा में कथन करता है कि दिनांक 18.10.10 को थाना शिवाजी पार्क पर एएसआई के पद पर तैनात था । उस दिन मुकदमा नंबर 387/10 का अनुसंधान आई.सी थाना आनंद यादव एस.आई ने उसके सुपुर्द किया था । उसके द्वारा दौराने अनुसंधान गवाहान के बयान उनके कथनानुसार लेखबद्ध किये गये । नक्शा मौका प्रदर्श पी 1 बनाया जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर हैं। प्रकरण में जब्तशुदा माल वजह सबूत को सीलबंद अवस्था में जरिये मालखाना इंचार्ज एल.सी

साधुराम के परीक्षण हेतु मार्का ए,बी,सी को सीलबंद अवस्था में जिला आर मोर्रर को परीक्षण हेतु भिजवाया गया । जिसकी आर मोर्रर रिपोर्ट प्रदर्श पी 3 है। जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है।

30. मुलजिम मुबारिक व तौफिक के विरूद्ध डी.एम साहब अलवर से अभियोजन स्वीकृति प्रदर्श पी 6 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी । नमूना सील प्रदर्श पी 7 है। एक्स, व्हाई और जेड स्थान पर नमूना सील अंकित है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मालखाना की प्रमाणित प्रति प्रदर्श पी 4ए है। जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर हैं। मजमून रिपोर्ट रवानगी दिनांक 18.10.10 प्राप्त कर शामिल पत्रावली की गयी । मजमून रिपोर्ट वापिस की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गयी । फर्द जब्ती प्रदर्श् पी 2, फर्द गिरफतारी मुलजिम प्रदर्श पी 3 लगायत पी 5 है। मौके की कार्यवाही आनंद यादव द्वारा की गयी । बाद अनुसंधान उसने अपनी तफतीश से मुलजिम मुबारिक, तौफिक व सुब्बा के विरूद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट प्रमाणित पाये जाने पर पत्रावली चार्जशीट हेतु एसएचओ कमल प्रसाद सी.आई को सुपुर्द की गयी । जिन्होंने न्यायालय में चार्जशीट पेश की ।

31. जिरह में भी उक्त गवाह यह स्पष्ट कथन करता है कि घटनास्थल के सामने विद्यालय है। प्रकरण में किसी स्वतंत्र गवाह को गवाह सूची में स्थान नहीं दिया गया है। और उसने कट्टे का अवलोकन नहीं किया था।

32. इस प्रकार उक्त गवाह केवल अपने अनुसंधान की पुष्टि में कथन करता है। प्रकरण में अभियुक्त मुबारिक से कट्टे की बरामदगी गवाहान की साक्ष्य से साबित है, परन्तु अभियोजन स्वीकृति को साबित नहीं किया गया है। अतः **अभियोजन स्वीकृति साबित नहीं होने से अभियुक्त अपराध अंतर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम के तहत दोषमुक्त घोषित किये जाने योग्य है।**

33. अतः विद्वान विचारण न्यायालय ने उपर्युक्त समस्त तथ्यों की ओर ध्यान नहीं देकर पत्रावली पर आई साक्ष्य सामग्री का सही व समग्र विवेचन किए बिना आलौच्य निर्णय व दण्डादेश पारित किया है, वह त्रुटिपूर्ण होने से **अपीलार्थी/अभियुक्त मुबारिक की हद तक अपास्त किए जाने योग्य है।** फलतः अपील स्वीकार किये जाने योग्य है।

-आ दे श-

34. अतः **अपीलार्थी-अभियुक्त मुबारिक** पुत्र सुभान खां निवासी झंझार थाना सीकरी जिला भरतपुर की ओर से प्रस्तुत अपील **स्वीकार** की जाती है । एवं विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व दण्डादेश **दिनांक 05.12.2018** को **अपीलार्थी/अभियुक्त मुबारिक की हद तक अपास्त** किया जाकर **अपीलार्थी-अभियुक्त मुबारिक** को अपराध **अन्तर्गत धारा 3/25 आयुध अधिनियम** के आरोप से **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

35. **विद्वान विचारण न्यायालय को पत्रावली इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि अपीलीय पत्रावली में अपीलार्थी/अभियुक्त शब्बा मफरूर है । अतः पत्रावली के सरबरक पर लाल स्याही से इस आशय का नोट अंकित किया जाए कि अपीलीय पत्रावली में अपीलार्थी/अभियुक्त शब्बा मफरूर है। अतः पत्रावली का कोई भाग/माल वजह सबूत नष्ट नहीं किया जावे । साथ ही अपीलीय पत्रावली पर भी इस आशय का लाल स्याही से नोट अंकित किया जावे ।**

36. निर्णय की प्रति के साथ विचारण न्यायालय की पत्रावली संबंधित न्यायालय को अविलंब लौटाई जावे।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 3,अलवर

37. निर्णय आज दिनांक 27.03.2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्योति के.सोनी)
अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश
संख्या 3,अलवर